न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 219/2017 दायर दिनाँक 01.08.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालचन्द पुत्र कानाराम, आयु—45साल, जाति—कुम्हार, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय कानाराम, 2. उमाराम पुत्र स्वर्गीय कानाराम, 3. मुन्नीदेवी पत्नी झूमरमल, 4. झूमलमल पुत्र स्वर्गीय कानाराम, 5. सन्तोष पुत्री स्वर्गीय कानाराम, 6. विमला पुत्री स्वर्गीय कानाराम, 7. कमला पुत्री स्वर्गीय कानाराम, 8. गंगा पुत्री स्वर्गीय कानाराम, 9. पाँचूड़ी पुत्री स्वर्गीय कानाराम, 10. मोहनी पत्नी स्वर्गीय कानाराम, 11. शारदा पत्नी स्वर्गीय बोदूराम, 12. जीतू पुत्र स्वर्गीय बोदूराम, समस्त,जाति—कुम्हार, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री ईस्लामुदीन, वकील, वादी।
2. श्री मनफूल खाँ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 219/2017
दायर दिनाँक 01.08.2017, निर्णय दिनाँक 05.02.2018
लालचन्द बनाम्, भँवरलाल, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 05.02.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 तक एक ही वंश के सदस्य हैं।

शरहद धनकोली में खसरा नम्बर 110 रकबा 03.02 बीघा व खसरा नम्बर 1201/110 रकबा 0.10 बीघा अवस्थित है, जिसके सम्बन्ध में वाद पेश है।

वादग्रस्त भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के नाम से थी।

स्वर्गीय कानाराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख के दिनाँक 05.09.2008 को प्रतिवादी संख्या 03 को रकबा 0.06 बीघा भूमि को व रकबा 0.12 बीघा भूमि को दिनाँक 27.05.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 तथा वादी को बैचाण कर कब्जा सम्भला दिया। इस प्रकार स्वर्गीय कानाराम ने अपने हिस्से की भूमि को अपने जीवन काल में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को बैचाण कर दिया, परन्तु सहवन से नाम दर्ज नहीं हुआ। विक्रय–पत्रों की छायाप्रतियाँ पेश है।

वादग्रस्त भूमि में से रकबा 0.06 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 03 के नाम से व रकबा 0.12 बीघा भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की घोषित की लाजमी है तथा शेष खातेदारान् प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 12 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

उपर्युक्त दर्ज खातेदारी की जानकारी, वादी को दिनाँक 01.06.2017 को नकल खतौनी लेने पर बिनाय दावा बमुकाम धनकोली में हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद धनकोली में खसरा नम्बर 110 रकबा 0.18 में से प्रतिवादी संख्या 03 का 0.06 बीघा तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के रकबा 0.12 बीघा भूमि की खातेदारी घोषित की जावे व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 12 नाम हटाया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 13 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 तक ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री इस्लामुदीन ने की व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 219/2017
दायर दिनाँक 01.08.2017, निर्णय दिनाँक 05.02.2018
लालचन्द बनाम, भँवरलाल, वगैरा।

प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मनफूल खाँ ने की है। हरब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा के मुताबिक, पक्षकारान् दावानुसार दावा डिक्री चाहते हैं।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम धनकोली सम्वत् 2068–2071 खेवट संख्या 341/290 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है व शरहद धनकोली में खसरा नम्बर 110 रकबा 0.18 बीघा में से रकबा 0.06 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 03 के तथा रकबा 0.12 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद धनकोली के खेत खसरा संख्या 110 रकबा 0.18 बीघा में से रकबा 0.12 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को संयुक्त रूप से तथा रकबा 0.06 बीघा का प्रतिवादी संख्या 03 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **05.02.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **219/2017** दायर दिनाँक **01.08.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालचन्द पुत्र कानाराम, आयु–45साल, जाति–कुम्हार, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय कानाराम, 2. उमाराम पुत्र स्वर्गीय कानाराम, 3. मुन्नीदेवी पत्नी झूमरमल, 4. झूमलमल पुत्र स्वर्गीय कानाराम, 5. सन्तोष पुत्री स्वर्गीय कानाराम, 6. विमला पुत्री स्वर्गीय कानाराम, 7. कमला पुत्री स्वर्गीय कानाराम, 8. गंगा पुत्री स्वर्गीय कानाराम, 9. पाँचूड़ी पुत्री स्वर्गीय कानाराम, 10. मोहनी पत्नी स्वर्गीय कानाराम, 11. शारदा पत्नी स्वर्गीय बोदूराम, 12. जीतू पुत्र स्वर्गीय बोदूराम, समस्त,जाति–कुम्हार, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **05.02.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ईस्लामुदीन, वकील, वादी व श्री मनफूल खाँ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद धनकोली के खेत खसरा संख्या 110 रकबा 0.18 बीघा में से रकबा 0.12 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को संयुक्त रूप से तथा रकबा 0.06

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 03 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

मीजान........-......... मुबलिग...........-.............. बाबत................ ..-...............खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........-......... आज की तारीख को अदा करें। बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.02.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner